

र
क
व
/

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

श्री ०६/१८ पञ्जावली आज राजस्थान लोक अदालत
अभियान न्याय आपुके द्वार २०१८ के
तहत छैम्प रम्यल अरल सेवा छेम्प
लांपुवा में पेशा हुई। वकील वादी
उपरो वकील वादी ने प्रकरण में
मुताबिक वादीनामा दिनांकित ११/१२/१७
दिली जारी छिये जाने का निवेदन
दिया। वकील वादी के निवेदन पर
अभिधानी तहसीलदार श्रीमालोपुर
ने कोई आपत्ति जाहिर नही की।

पञ्जावली, पञ्जावली पर
उपलब्ध राजस्थान रेकार्ड, पेशा छुवा
राजीनामा आदि का अवलोकन किया
गया जिनके अवलोकन से एवं लोक
अदालत की आवना से वादी का वाद
स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने
पर स्वीकार किया जाता है तथा दोषणा
की जाती है कि :-

आदेश

तन ग्राम लांपुवा तहसील श्रीमालोपुर
जिला सीकर अवस्थित कृषि अूमि ख.
नं. ५३७/१०५२ रकबा ०.३० हे० व ख.
नं. ५३८ रकबा ०.६५ हे० के १/२ हिस्सा
का वादी को खोतेदार ठाहराकार घोषित किया
जाता है तथा उक्त ख. नं. ५३७ व ५३८ के १/२
हिस्सा से प्रतिगाही सं. १ का नाम हजक
किया जाता है। उक्तानुसार राजस्थान

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज



रेकॉर्ड में अमल परामर्श हो तथा लघुहस्ताक्षर प्रकरण में पचास दिनों के अंदर हो, पचासवीं अंश में सुमाद होकर नम्बर से उम हो तथा बाव लक्ष्मील शामिल वक्त हो। निम्न मजमे आम सुनाया गया।

27/6/23
भागीरथ शाख
(RAS)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्ड-1

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

उनवान

गोविन्दाम * बनाम ① हर्देव *

दावा बाबत रहस्यारत हक स्व स्वार्थ निवेद्याता

मुकदमा नम्बर :- 53/2017

निर्णय दिनांक :- 21/06/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी ..

..... मिनजानिब मुददई रुबरु श्री सजाऊ खान

..... मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तन ग्राम लोपवा तहसील श्रीमधोपुर जिला सीकर अवस्थित कृषि भूमि
ख.नं. 537/1042 एका 0.30 हे. व ख.नं. 538 एका 0.65 हे.
के 1/2 हिस्सा का वादी को खतिया काश्तका चौषित किया जाता
है तथा उक्त ख. नम्बर के 1/2 हिस्सा से प्रतिवादी से 1 एका नाम
हजफ किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रकॉर्ड में उमल दामद
हो।

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 21/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



श्री भागीरथ शाख
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
खण्डेला (सीकर)
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	रुपया
4 रुपये पर प्लीडर की फीस	रुपया
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	रुपया
6 कमिश्नर की फीस	रुपया
7 आदेशिका की तामील	रुपया
जोड़	जोड़

* पुत्र श्री मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम लांपूवा
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)
— वादी

बनाम


* पुत्र श्री मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम लांपूवा
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

① भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

② पटवारी पटवाट मण्डल - चोमू प्रोहितात तहसील श्री-
माधोपुर जिला सीकर (राज.)



— प्रतिवादीगण


जगबीरसिंह शाख
(RAS)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला